सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 29, 2020

संख्या प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/पार्ट :-जैसाकि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विद्यमान कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु निजी गौण मण्डी प्रांगण धोषित करने का निर्णय लिया है।

अतः अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरण के स्तम्भ 2 में वर्णित कृषि उपज मण्डी समितियों से संबधित मण्डी क्षेत्र में स्तम्भ 3 में वर्णित व्यक्ति द्वारा प्रबंधित गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की धोषणा करती है, जिसकी सीमाओं का विवरण स्तम्भ 4 के अनुसार होगा :-

क्र.स	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	गौण मण्डी प्रांगण प्रबन्धक व्यक्ति का विवरण	निजी गौण मण्डी प्रांगण की सीमा
1	2	3	4
1.	खैरथल	दी किशनगढ-बास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., किशनगढ-बास	दी किशनगढ-बास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., किशनगढ-बास द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
2.	जैतसर	जैतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जैतसर	जैतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जैतसर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
3.	श्रीविजयनगर	रामसिंहपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. रामसिंहपुर	रामसिंहपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. रामसिंहपुर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता

राज्य सरकार धोषणा करती है कि उक्त निजी गौण मण्डी प्रांगणों का उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 एवं धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 से परिभाषित मार्केट प्रोपर नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
लालचन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

5566

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।